

दिनांक - १६/०७/२०२५


सेवा अनुबंध - सहायक

सहायक का नाम <i>Ajeeta</i>	सहायक का कॉन्टैक्ट नंबर 1 9806968279 2 7942116942
सहायक का पता Chattarpur Road Jaunpur ४९४००५ Delhi	सहायक का ID no. 6782 6378 4248

Broomees India Pvt.Ltd. के क्लाइंट के घर में काम करने हेतु सहायक द्वारा निम्नलिखित बातों पर सहमति व्यक्त की गई है।

- 1) कि सहायक को M/s Broomees द्वारा काम मिला है तथा वह M/s Broomees के सभी शिष्टाचार एवं सेवा दिशानिर्देशों का पालन करेगा।
- 2) सहायक के लिए रहने की व्यवस्था क्लाइंट द्वारा की जाएगी। हालांकि, यदि निजी कमरा उपलब्ध नहीं है, तो सहायक को क्लाइंट के निवास में आम कमरों में रहना होगा।
- 3) सहायक को गद्दा, तकिया एवं चादर सहित मूलभूत आवश्यकताओं की वस्तुएं क्लाइंट द्वारा प्रदान की जाएंगी। लेकिन कार्यकर्ता को अपनी बुनियादी जरूरी चीजें जैसे शैम्पू, साबुन, कंघी, क्रीम आदि अपने साथ रखनी होगी।
- 4) सहायक दिन में 3 बार मुफ़्त भोजन का हकदार होगा जो सहायक द्वारा ही तैयार किया जाएगा।
- 5) उपलब्धता अवधि 18 घंटे की होगी जो सुबह 5 बजे से रात 11 बजे तक होगी। हालांकि, जब तक कि पूर्व आपसी सहमति से तय न किया गया हो, काम के घंटे 10 घंटों तक सीमित रहेंगे।
- 6) सहायक के मासिक वेतन का भुगतान M/s Broomees द्वारा हर महीने की 7 तारीख को उस कार्य के लिए किया जाएगा जो सहायक ने पिछले महीने के अंतिम दिन तक किया है। पिछले महीने के दौरान ली गई छुट्टियों के भुगतान की कटौती मासिक भुगतान में से की जाएगी।
- 7) यदि सहायक ब्रूमीज़ की मंजूरी के बिना और ग्राहक से अपने वेतन की मंजूरी के बिना बीच में ही नौकरी छोड़ देता है तो ब्रूमीज़ सहायक की वसूली और वेतन का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
- 8) सहायक को हर उस वस्तु/उपकरण के साथ काम करने से पहले क्लाइंट की अनुमति लेनी होगी, जिसके उपयोग का तरीका सहायक नहीं जानता।
- 9) पूर्व अनुभव, कौशल, प्रशिक्षण एवं विशेषज्ञता के आधार पर खाना पकाने/हाउसकीपिंग/बेबीसिटिंग की भूमिका या तो एकल या संयोजन में सहायक को सौंपी जाएगी।

रीता



अनुबंध अवधि के दौरान, शादी, बच्चे की परीक्षा, त्योहार, कानूनी विवाद सहित किसी अन्य पूर्व नियोजित कार्यक्रमों के मामलो में लगातार 2 दिनों से अधिक छुट्टी प्रदान नहीं की जाएगी।

- 1) सहायक साथी कर्मचारियों/क्लाइंट के साथ वेतन के बारे में चर्चा/खुलासा नहीं कर सकता।
- 2) सहायक को क्लाइंट से एडवांस सैलरी मांगने का कोई अधिकार नहीं है।
- 3) यदि सहायक को दिल्ली मुख्यालय में आने के 7 दिनों के बाद भी अपनी अकुशलता के कारण नौकरी नहीं मिलती, तो जब तक सहायक नौकरी पर नहीं लग जाता/जाती, सहायक को M/s Broomees द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं और सुविधाओं के बदले में M/s Broomees द्वारा सौंपे गए सभी कार्यों को पूरा करना होगा। सहायक इस दौरान किसी भी कार्य के लिए किसी भी प्रकार के आर्थिक लाभ का हकदार नहीं होगा।
- 4) शारीरिक एवं मौखिक दुर्व्यवहार जैसी असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर, किसी और वजह से, 7 कार्य दिवसों के पूरा होने से पहले क्लाइंट बदलने की किसी भी मांग पर विचार नहीं किया जाएगा।
- 5) यदि सहायक ऑन ड्यूटी या ऑफ ड्यूटी किसी भी अनुचित या आपराधिक गतिविधि में शामिल पाया जाता है, तो उसे तुरंत उसके कर्तव्यों से मुक्त कर दिया जाएगा और उसके खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बकाया वेतन का उपयोग M/s Broomees या क्लाइंट द्वारा उठाए गए नुकसान की भरपाई के लिए होगा।
- 6) यदि क्लाइंट सहायक की सेवा से संतुष्ट नहीं है, तो M/s Broomees के पास बिना किसी पूर्व सूचना के सहायक को बदलने के सभी अधिकार है। हालांकि M/s Broomees सहायक को रोजगार का एक और अवसर तभी प्रदान कर सकती है जब सहायक रोजगार योग्य हो।
- 7) M/s Broomees के पास सहायक के पिछले नियोक्ता से जाँच पड़ताल करने और क्लाइंट के स्थान पर नियुक्ति से पहले सहायक का पुलिस सत्यापन करने के सभी अधिकार है।
- 8) यदि सहायक द्वारा प्रदान किया गया कोई भी सत्यापन दस्तावेज जाली पाया जाता है, तो M/s Broomees को सहायक के प्रति कानूनी कार्रवाई करने हेतु तथा सहायक द्वारा Rs. 5000/- का अतिरिक्त जुर्माना वसूल करने हेतु सभी अधिकार हैं।
- 9) जब तक कोई आपातकालीन स्थिति उत्पन्न न हो, तब तक सहायक को अपनी अनुबंध अवधि के दौरान अपने कार्यक्षेत्र अनुसार सभी कर्तव्यों का पालन करना होगा। यदि सहायक अनुबंध अवधि के दौरान काम करने से इनकार करता है तथा कंपनी के अन्य रोजगार प्रस्तावों से भी इनकार करता है, तो M/s Broomees को सहायक के 7 दिनों के वेतन या 5000 रुपये, जो भी अधिक हो, को जब्त करने का अधिकार प्राप्त है।

रीता



कोई भी सहायक प्रशिक्षण एवं नौकरी की पुष्टि के बाद अंतिम समय में पीछे हट जाता है, जब्तक से इनकार करता है या फरार हो जाता है, तो उसे M/s Broomees कि बहिष्कार सूची में डाल दिया जाएगा एवं उसका प्रमाणपत्र रद्द कर दिया जाएगा।

- 1) सहायक को हर महीने 2 छुट्टियों का अधिकार है, अगर सहायक किसी करणवर्ष छुट्टिया नहीं हो पता, तो सहायक को उन दो दिनों का भुगतान उनके वेतन के अतिरिक्त मिलेगा।
- 22) M/s Broomees सहायक के आवागमन के दौरान और नौकरी के दौरान हुई किसी भी हानि/क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
- 23) स्वास्थ्य बीमा होना अनिवार्य है और यदि सहायक अपने बीमा का प्रमाण देने में असमर्थ है तो M/s Broomees उन्हें एक बीमा योजना प्रदान करेगा और इसका शुल्क उनके वेतन से काट लेगा।
- 24) यदि सहायक किसी कारणवश अपनी अनुबंध अवधि ..... (61) ..... (6/9/12) महीने का कार्यकाल पूरा नहीं करना चाहता है, तो सहायक M/s Broomees को Rs. 5000/- का मुआवज़ा देकर अनुबंध खत्म कर सकता है।
- 25) हेल्पर को कंपनी की लिखित अनुमति के बिना ब्रूमीज़ द्वारा संदर्भित किसी भी ग्राहक के स्थान पर काम करने की अनुमति नहीं है। अगर हेल्पर ऐसा करते हुए पाया जाता है तो कंपनी हेल्पर के खिलाफ कानूनी शिकायत दर्ज कर सकती है।
- 26) जब आप ग्राहक के स्थान पर होते हैं, तो ग्राहक की लिखित सहमति के बिना आपके पास कोई ऐसी वस्तु या नकदी नहीं होनी चाहिए जो आपकी नहीं हो। यदि कोई ग्राहक आपको कोई नकद या कोई वस्तु दे रहा है तो आपको ग्राहक से लिखित और हस्ताक्षरित सहमति लेनी होगी कि वे स्वेच्छा से आपको वह विशेष वस्तु उपहार में दे रहे हैं। यदि किसी भी समय, कोई वस्तु या नकदी उस वस्तु या नकदी के मूल मालिक की लिखित सहमति के बिना आपके कब्जे में पाई जाती है तो इसे चोरी माना जाएगा और आपको ब्रूमीज़ प्लेटफॉर्म से तुरंत हटा दिया जाएगा और आपकी अर्जित वेतन जब्त कर लिया जाएगा। इसके अलावा पुलिस में शिकायत भी दर्ज करायी जा सकती है।
- 27) यदि सहायक अनुबंध पूरा करने से पहले नौकरी से भाग जाता है या छुट्टी पर चला जाता है और वापस लौटने में विफल रहता है, तो कंपनी उनके वेतन के लिए जिम्मेदार नहीं होगी। ऐसे मामलों में, सहायक को ग्राहक से लंबित वेतन के बारे में अनुरोध करना या याद दिलाना चाहिए ताकि ग्राहक सीधे ब्रूमीज़ को भुगतान कर सके। सभी वेतन लेनदेन विशेष रूप से ब्रूमीज़ के खाते के माध्यम से संसाधित किए जाएंगे।
- 28) सहायक को नौकरी छोड़ने से पहले ब्रूमीज़ को सूचित करना होगा और ब्रूमीज़ द्वारा प्रतिस्थापन की व्यवस्था करने के बाद ही वह नौकरी छोड़ सकता है। यदि सहायक बिना पर्व

रीता


•



- जिम्मेदारी के भाग जाता है, तो वेतन संबंधी किसी भी मामले के लिए वे पूरी तरह जिम्मेदार होंगे, और कंपनी उत्तरदायी नहीं होगी।
- यदि सहायक ग्राहक की संपत्ति को कोई नुकसान पहुंचाता है या जानबूझकर कुछ लीडता है, और सहायक अपनी गलती स्वीकार करता है, तो वे ग्राहक को मुआवजा देने के लिए जिम्मेदार होंगे। कंपनी ऐसे किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगी।
- 30) नौकरी छोड़ने के 6 महीने बाद कोई भी दावा मान्य नहीं होगा, भले ही वह 5,000 रुपये की क्यों न हो। लेकिन अगर 6 महीने के भीतर फिर से नौकरी पर आते हैं और 15 दिन काम करते हैं, तो 5,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा।

Reeta

कार्यकर्ता का नाम:



Reeta ,

M/s Broomees अधिकारी

कार्यकर्ता हस्ताक्षर